राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१

प्राक्कथन

वर्तमान में कोयला उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जो वेतनमान, अन्य लाभ और सेवा की शर्तें हैं, वे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कोयला उद्योग के लिये केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों, जो १५ अगस्त, १९६७ से लागू है, के तहत आती हैं। कोयला उद्योग के श्रमिकों ने, अन्य उद्योग में वेतन बढ़ती को देखते हुए तदनुरूप वेतनमान में पुनरीक्षण की मांग की। भारत सरकार ने इस विषय पर विचार किया और देश में कोयला उद्योग के लिये द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति के गठन की मंजूरी दे दी जिसमें चार केन्द्रीय मजदूर संघों—इंटक, एटक, एच.एम.एस. और सीटू के प्रतिनिधियों और समान संख्या में पाँच कोयला उत्पादक कम्पनियों—जैसे, कोल माइन्स अथोरिटी लि० (एन.सी.डी.सी. सहित), भारत कोकिंग कोल लि०, सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० के प्रतिनिधिगण शामिल थे (परिशिष्ट 'ए'), यद्यपि एच.एम.एस. ने वार्ता में भाग नहीं लिया।

कमिटी की पहली बैठक का उद्घाटन तत्कालीन भारी उद्योग, स्टील तथा खान मंत्री श्री टी. ए. पै ने २८ सितम्बर, १९७३ को किया।

कमिटी के श्रमिक प्रतिनिधियों ने कोयला उद्योग में कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों का फैसला होने तक अन्तरिम राहत दिये जाने की मांग की। कमिटी की तीसरी बैठक जो १९ नवम्बर, १९७३ को हुई, इस बैठक में गहराइयों में विमर्श के उपरान्त एक राजीनामा पर पहुंचा गया जिसमें १५ नवम्बर १९७३ से मासिक दर के श्रमिकों के वेतन में ३९ रु. प्रतिमाह तथा दैनिक दर के श्रमिकों के लिये प्रति दिन प्रति हाजरी १ रु० ५० पैसे की दर से अन्तरिम राहत का भुगतान करने का फैसला किया गया। समझौता की प्रतिलिपि इस समझौता के अन्त में परिशिष्ट 'बी' में दी जा रही है।

कमिटी की लम्बी दौर की बैठकें हुईं और अन्ततः वेतन स्तर, वेतन ढांचा तथा अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध से एक राजीनामा पर पहुंचा गया जिसका उल्लेख निम्नलिखित अध्यायों में किया गया है।

समझौता की शर्तें

अध्याय—१

सीमा तथा विस्तार

१.१ यह समझौता उन सभी कैटेगरियों के श्रमिकों पर लागू होगा जो कोयला उद्योग के लिये वेतन मण्डल की सिफारिशों के तहत आते हैं और जिन्हें १६-११-१६७३ के समझौता के अनुसार प्रतिमाह ३६ रु. अथवा प्रति दिन १ रु ५० पैं. के हिसाब से वेतन बढ़ती का अन्तरिम राहत मिला है।

अध्याय—२

निम्नतम मजदूरी, मजदूरी ढाँचा व मंहगाई भत्ता

२.१ कोयला खान उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान निम्न ब्योरानुसार होगा :—

(अ) बुनियादी (बेसिक) मजदूरी,

(ब) हाजरी बोनस—बुनियादी (बेसिक) मजदूरी का १० प्रतिशत,

(स) निश्चित मंहगाई भत्ता—३६ रु. प्रतिमाह अथवा १ रु. ५० पैसे प्रति दिन, तथा

(द) एक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता जो औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक २४६ से जुड़ा रहेगा (आधार १६६०=१००) (सिमला सिरीज)। (सूचक अंक २४६, जुलाई, अगस्त, सितम्बर १६७३ का औसत सूचक अंक है)।

२.२ निम्नतम मजदूरी :

(१) अकुशल कैटेगरी १ के मजदूर की २६ दिन कार्य के लिये निम्नतम मजदूरी ३२५) रु. प्रतिमाह अथवा १२ रु. ५० पैसे प्रतिदिन होगी जो औद्योगिक मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २४६ पर आधारित होगी (आधार १६६०=१००)।

(२) ३२५) रु. मासिक निम्नतम मजदूरी में निम्नलिखित शामिल है—

(अ) बुनियादी (बेसिक) मजदूरी २६०) रु. प्रतिमाह या १०) रु. प्रति दिन।

(ब) हाजरी बोनस—बुनियादी मजदूरी का १० प्रतिशत जो २६ रु. प्रतिमाह अथवा १) रु. प्रतिदिन होता है।

(स) निश्चित मंहगाई भत्ता ३६ रु. प्रतिमाह अथवा १) रु. ५० पैं. प्रति दिन कुल : ३२५) रु. प्रतिमाह अथवा २२) रु. ५० पैं. प्रतिदिन।

२.३ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :

(क) बुनियादी (बेसिक) मजदूरी एवं निश्चित मंहगाई भत्ता जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक २४६ (आधार १६६०=१००) से जुड़ा है, के अतिरिक्त कर्मचारीगण एक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक २४६ से अधिक होने पर परिवर्तित अर्थात् बढ़ता या घटता रहेगा।

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार १६६०=१००) के औसत में वृद्धि अथवा कमी के अनुसार प्रत्येक तीन महीने पर १ मार्च, १ जून, १ सितम्बर तथा १ दिसम्बर को परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता की दर में संशोधन होगा जो क्रमशः दिसम्बर, मार्च, जून तथा सितम्बर को अन्त हुए तिमाहों के लिये सूचक अंक के औसत के आधार पर होगा।

(ग) परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता में बढ़ती तथा कमी का दर १ रु. ३० पैं. प्रति अंक प्रति माह अथवा ५ पैसे प्रति दिन प्रति अंक के

हिसाब से होगा जो तिमाही सूचक अंक २४६ से अधिक होने पर बढ़ती अथवा कमी होगा और वह सभी कर्मचारियों के लिये लागू होगा ।

(घ) किसी तिमाही का औसत लेने के लिये औसत में भिन्न अंक को पूर्णांक में बदलने के लिये पूर्णांक में आगे का अंक लिया जायगा जैसे किसी तिमाही का औसत सूचक अंक यदि २५७.४ हो तो उससे आगे का अंक अर्थात् २५८ को हिसाब में लिया जायगा ।

(ङ) किसी भी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में उसके पिछले तिमाही की तुलना में गिरावट होने पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता में उसी अनुपात में अर्थात् ५ पैसे प्रति अंक प्रति दिन अथवा १ रु. ३० पैसे प्रति अंक प्रति माह की दर से कमी हो जाएगी परन्तु मूल्य सूचक अंक २४६ से नीचे होने पर भी मंहगाई भत्ता में कोई कमी नहीं होगी ।

२.४ वेतन ढाँचा तथा वेतन विषमताएँ :

विभिन्न कैटेगरी, हुनर तथा ग्रेड के अन्तर्गत आनेवाले दैनिक दर, मासिक दर एवं पीस रेटेड श्रमिकों के लिये संशोधित वेतनमान जैसा कि पैरा २.१ में ऊपर में उल्लिखित है वह निम्न प्रकार होगा :—

(ए) दैनिक दर के श्रमिक (कर्मचारी)

कैटेगरी	बेसिक मजदूरी की वर्त्तमान दरें	बेसिक मजदूरी की संशोधित दरें
१.	रु. ५.००-०.१०-६.००	रु. १०.००-०.२०-१२.००
२.	,, ५.३५-०.१२-६.५५	,, १०.४०-०.२६-१३.००
३.	,, ५.६०-०.१५-७.४०	,, ११.३५-०.३२-१४.५५
४.	,, ६.६०-०.२०-८.६०	,, १२.७५-०.४१-१६.८५
५.	,, ७.६५-०.२८-१०.७५	,, १४.५०-०.५५-२०.००
६.	,, १०.६०-०.४०-१४.६०	,, १७.७०-०.७३-२५.०६

(बी) मासिक दर के श्रमिक (कर्मचारी)
(तकनिकी एवं सुपरवाइजरी)

ग्रेड	बेसिक वेतन की वर्त्तमान दरें	बेसिक वेतन की संशोधित दरें
ए	रु. ४०५-२०-६०५-२५-७३०	रु. ५६२-३२-८४८-३६-६६२
बी	,, ३०५-१५-३६५-२०-५८५	,, ५१०-२७-७२६-३२-८५४
सी	,, २४५-१०-३०५-१५-४४०	,, ४४२-२२-६१८-२६-७३४
डी	,, २०५-७-२४७-१०-३३७	,, ३७८-१८-५२२-२३-६१४
ई	,, १८०-५-२१०-७-२७३	,, ३३०-१२-४५०
एफ	,, १६५-४-२०५-५-२३०	,, ३१०-९-४००
जी	,, १४६-३-१७६-४-१८४	,, २८५-७-५०-३६०
एच	,, १४०-३-१७०-४-१७८	,, २४७-७-३४४

(सी) मासिक दर के श्रमिक (कर्मचारी)
(क्लरिकल)

ग्रेड	बेसिक वेतन की वर्त्तमान दरें	बेसिक वेतन की संशोधित दरें
स्पेशल	रु. ३०५-१५-४२५-२०-५०५	रु. ५१०-२७-७२६-३३-७९२
१	,, २४५-१०-३२५-१५-३८५	,, ४४२-२२-६१८-३०-६७८
२	,, २०५-७-२७५-१०-३२५	,, ३७८-१८-५२२-२४-५७०
३	,, १८०-५-२३०-७-२६५	,, ३३०-१२-४३८

(डी) दैनिक दर के श्रमिक (कर्मचारी)
(एक्सकावेशन)

कैटेगरी	बेसिक मजदूरी की वर्त्तमान दरें	बेसिक मजदूरी की संशोधित दरें
स्पेशल	रु.	रु. २६.८०-१.३७-४०.५०*
ए	,, १६.००-०.९०-२५.००	,, २३.००-१.१५-३४.५०
बी	,, १३.५०-०.७०-२०.५०	,, २०.४५-१.००-३०.४५
सी	,, १२.००-०.६०-१८.००	,, १८.६०-०.८७-२७.३०
डी	,, १०.७५-०.४०-१४.७५	,, १५.९०-०.६४-२२.३०
ई	,, ६.७५-०.२०-८.७५	,, १२.२०-०.५७-१५.९०

* स्पेशल कैटेगरी सिर्फ बड़ा ड्रैगलाइन आपरेटरों के लिये ।

(ई) पीस रेट के श्रमिक (कर्मचारी)

ग्रुप	मजदूरी की वर्त्तमान दरें		मजदूरी की संशोधित दरें	
	दर	फाल बैक मजदूरी	दर	फाल बैक मजदूरी
	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
१	५.२५	५.००	१०.३६	१०.००
२	५.४०	५.००	१०.६८	१०.००
३	५.६०	५.२५	११ ३६	१०.३६
४	६.००	६.००	११.५६	१०.६३
५	६.७५	६.००	१२.७२	११ ५६*
५ए			१३.००	१३.००

* टालीवानों (ट्रामरों) को छोड़कर जिनकी फालबैक मजदूरी १२ रु. ७२ पै. होगी ।

२.५ संशोधित वेतनमान में फिटमेंट :

संशोधित वेतनमान में फिटमेंट के उद्देश्य से श्रमिकों को १-१-१९७५ को मिलनेवाले वर्त्तमान कुल मजदूरी (जिसमें बुनियादी (बेसिक) मजदूरी, अन्तरिम राहत, हाजरी बोनस तथा मंहगाई भत्ता शामिल होगा) में मासिक दर के श्रमिकों के लिये १०४ रु. ५२ पैसे अथवा ४ रु. ०२ पैसे दैनिक दर श्रमिकों के लिये जोड़ दिया जायगा और इस तरह से जो कुल योग होगा उसे बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.) तथा हाजरी बोनस जो बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत होगा, में विभाजित कर दिया जायगा और किसी श्रमिक को संशोधित वेतनमान के अगले स्तर में फिट कर दिया जायगा ।

यदि किसी श्रमिक की नयी बेसिक मजदूरी संशोधित वेतनमान के निम्नतम से भी कम हो तो उसे संशोधित मजदूरी का निम्नतम दिया जाएगा । यदि किसी श्रमिक का नया बेसिक संशोधित स्केल के दो स्तरों के बीच में पड़े तो उसे संशोधित स्केल से अगले स्टेज में फिट किया जाएगा ।

उदाहरण : १

कैटेगरी—१ (रु. ५.००-०.१०-६.००)

	दैनिक
वर्त्तमान बेसिक	५ रु. ७० पै.
हाजरी बोनस १० प्रतिशत की दर से	० रु. ५७ पै.
निश्चित मंहगाई भत्ता	१ रु. ५० पै.
वर्त्तमान परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	५ रु. २८ पै.
	१३ रु. ०५ पै.
जोड़ निम्नतम लाभ	४ रु. ०२ पै.
	कुल १७ रु. ०७ पै.

कैटेगरी—१ (१०.००-०.२०-१२.०० रु.)

	दैनिक
नया बेसिक	रु. १०.८०
हाजरी बोनस १० प्रतिशत की दर से	,, १.०८
निश्चित मंहगाई भत्ता	,, १.५०
परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३२२ पर) (आधार १९६०=१००)	,, ३.८०
	रु. १७.१८

उदाहरण : २

तकनिकी एवं सुपरवाइजरी : ग्रेड-बी (३०५-१५-३६५-२०-५७५

	मासिक
वर्त्तमान बेसिक	रु. ३९५.००
हाजरी बोनस १० प्रतिशत की दर से	,, ३९.५०
निश्चित मंहगाई भत्ता	,, ३९.००
वर्त्तमान मंहगाई भत्ता	,, १३७.२८
	रु. ६१०.७८
जोड़ निम्नतम लाभ	रु. १०४.५२
	कुल योग रु. ७१५.३०

तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी (५१०-२७-७२६-३२-८५४)

नया बेसिक	रु. ५३७.००
हाजरी बोनस १० प्रतिशत की दर से	रु. ५३.७०
निश्चित मंहगाई भत्ता	रु. ३९.००
परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	रु. ९८.८०
(उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३२२ : आधार १९६०=१००)	
	कुल रु. ७२८.५०

अध्याय—३

विशेष आवास कोष

३.१ यह राजीनामा हुआ कि इस समझौता के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों के लिये घर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपये मुहैया किया जायगा ।

३.२ यह जो पाँच करोड़ रु. का फण्ड जमा किया जायगा वह विभिन्न कोयला उत्पादक कम्पनियों द्वारा उन श्रमिकों की संख्या के अनुपात में देना होगा जिन्हें अभी तक न तो वेलफेयर फण्ड से और न ही कम्पनी क्वार्टर या सरकारी माध्यम से अनुमोदित कोई आवास मिला है ।

३.३ यह सुनिश्चित करने के लिये कि वैसे फण्ड का उपयोग आवास बनाने हेतु किया जाता है और प्रगति संतोषप्रद है, इसकी समय-समय पर समीक्षा एक द्विदलीय समिति करेगी । इस समझौता की अवधि के दूसरे वर्ष के अन्त में समीक्षा करने पर यदि यह पाया गया कि प्रगति सन्तोषप्रद नहीं है तब उनके कारणों की जांच की जाएगी एवं समुचित सुधार के कदम उठाए जाएँगे । श्रमिक प्रतिनिधियों को यह अधिकार भी रहेगा कि वे घर भाड़ा भत्ता की मांग को फिर से उठाएं ।

३.४ प्रबन्धनों द्वारा जमा किया गया यह पाँच करोड़ रुपये का फण्ड कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फण्ड से मिलने वाले रकम तथा और भी अन्य कोई नई परियोजनाओं से घर बनाने हेतु मिलने वाले धन के अतिरिक्त होगा ।

अध्याय—४

अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स

४.१ सिद्धान्ततः यह समझौता हुआ कि माइन्स ऐक्ट अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमानुसार परिभाषित अण्डरग्राउण्ड में काम करनेवाले श्रमिकों के लिये संशोधित बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत की दर से अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स मिलेगा जो प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति अधिकतम ८० रु. तक होगा । यद्यपि अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स का यह १० प्रतिशत निम्नलिखित ब्यौरा के अनुसार कई स्तर में पहुंचा जायगा :—

समझौता लागू होने के दिन से	७ प्रतिशत
समझौता लागू होने के एक वर्ष बाद से	८ प्रतिशत
समझौता लागू होने के दो वर्ष बाद से	१० प्रतिशत

४.२ मजुमदार एवार्ड तथा एल. ए. टी. एवार्ड में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स भुगतान योग्य होगा ।

४.३ अब से अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स को मजदूरी/वेतन माना जाएगा ।

अध्याय—५

पीस रेट के कर्मचारियों का कार्य-भार, बेसिक (बुनियादी) मजदूरी तथा फाल-बैक मजदूरी

५.१ पीस रेट के कर्मचारी ६ ग्रूपों में रखे जाएंगे और उनकी बेसिक मजदूरी तथा फाल-बैक मजदूरी निम्न प्रकार से होगी :—

ग्रूप	बेसिक मजदूरी रु. पै.	फाल बैक मजदूरी रु. पै.	कार्य-भार
ग्रूप-१ (१) सैंड क्लीनर	१०.३६	१०.००	१०८ सी एफ टी
(२) अर्थ कटर (कारी के बाहर)	१०.३६	१०.००	८४ सी एफ टी
			अब से ढेर का माप कर के
ग्रूप-२ (१) डीपो सैंड लोडर	१०.६८	१०.००	१५० सी एफ टी

		रु. पै.	रु. पै.	
	(२) रिभर सैंड लोडर	१०.६–	१०.००	१२२ सी एफ टी अर्थ से ढेर का माप कर के
ग्रूप-३	(१) ओभरबर्डेन रिमूवल	११.३६	१०.३६	(ए) कचड़ा हटाना ७२ सी एफ टी (बी) मिट्टी काटना तथा हटाना ६६ सी एफ टी (सी) सौफ्ट स्टोन (नरम पत्थर) झामा (शेल) तथा मोरम ५३ सी एफ टी (डी) हार्ड (स्टोन) (चट्टान) ४० सी एफ टी
	(२) वागन/ट्रक लोडर एवं स्ट्रैकर	११.३६	१०.३६	लीड के लिये कार्यभार १०० फीट से अधिक नहीं ।
	(३) (ए) वागन लोडिंग (कोयला) (बोझाई)/	११.३६	१०.३६	४.५ टन
	वागन अनलोडिंग (कोयला) (खलासी)	११.३६	१०.३६	६.७५ टन
	(बी) ट्रक लोडिंग	११.३६	१०.३६	४.५ टन
	ट्रक अनलोडिंग	११.३६	१०.३६	६.७५ टन
	(सी) कोल स्टैकिंग*	११.३६	१०.३६	४.५ टन
	(डी) सौफ्ट कोक लोडिंग (बोझाई)	११.३६	१०.३६	३.६ टन
	सौफ्ट कोक अनलोडिंग (खलासी)	११.३६	१०.३६	५.४ टन

* शेल पीकिंग (पत्थर चुनने) का अलग से दिया जायेगा ।

		रु. पै.	रु. पै.	
	(ई) हार्ड कोक लोडिंग	११.३६	१०.३६	३.२ टन
	हार्ड कोक अनलोडिंग	११.३६	१०.३६	४.८ टन
	(एफ) सौफ्ट कोक स्टैकिंग	११.३६	१०.३६	३.६ टन
	हार्ड कोक स्टैकिंग	११.३६	१०.३६	३.२ टन
	(जी) कोल स्क्रीनिंग (दोनों उत्पादन)	११.३६	१०.३६	४.५ टन
	(एच) कोल स्टैकिंग (सौफ्ट कोक बनाना)	११.३६	१०.३६	४.५ टन
	(आइ) कोल सप्लायर (कोक ओभेन, देशी भट्टा तथा बी. पी. में हार्ड कोक बनाना) *	११.३६	१०.३६	४.५ टन
ग्रूप-४	(१) सौफ्ट कोक मेकर	११.५६	१०.६३	३.७५ टन
	(२) स्टोन स्टैकर (अण्डरग्राउण्ड)	११.५६	१०.६३	७२ सी एफ टी
ग्रूप-५	(१) मेन ड्राइवर (यह कार्यभार लेभेल तथा राइज मैलरी में मेन के ड्राइवेज पर लागू होता है । डिप दिशा में ड्राइवेज के लिये चालू दर से अधिकतम १० प्रतिशत तक अतिरिक्त भुगतान किया जायगा ।)	१२.७२	११.५६	मेन का माप ३ फीट चौड़ाई × ५ फीट ऊँचाई होगा और प्रति व्यक्ति प्रति पाली १.५ फीट लम्बाई तक देना होगा ।
	(२) डाइक कटर	१२.७२	११.५६	कटाई जब : (१) हाथ से किया जाता है-५सीएफटी (२) बिजली तथा न्यूमैटिक ड्रिल—८ सी एफ टी

* इसमें कोयला (के ढेरों को) तोड़ना शामिल नहीं है ।

	रु. पै.	रु. पै.	
(३) झामा (डाइक-पत्थर के पीछे तथा आगे)	१२.७२	११.५६	कटाई जब : (१) हाथ से हों— १४ सी एफ टी (२) बिजली तथा स्वचालित ड्रिल द्वारा-२१ सीएफटी
(४) स्टोन कटर	१२.७२	११.५६	(अ) छेनी व हथौड़ा से काटना : (१) हार्ड स्टोन— ८ सीएफटी (२) सॉफ्ट स्टोन— १० सी एफ टी (ब) हाथों से ड्रिल, ब्लास्ट तथा मकिंग करना (१) हाथों से ड्रिल करना-१५ सीएफटी (२) बिजली की सहायता से ड्रिल करना-२५ सीएफटी
(५) ट्रामर (टालीवान)	१२.७२	१२.७२	इकाई स्तर पर फैसला किया जायगा
ग्रूप-५ ए (१) पिक माइनर	१३.००	१३.००	४०.५ सी एफ टी
(२) क्वारी पिक माइनर	१३.००	१३.००	४७.२५ सी एफ टी
(३) क्वारी माइनर	१३.००	१३.००	६७.५ सी एफ टी
(४) क्वारी लोडर	१३.००	१३.००	९४.५ सी एफ टी
(५) बास्केट लोडर (एम.सी लोडर)	१३.००	१३.००	८१.०० सी एफ टी
(६) शावेल लोडर (फेस पर)	१३.००	१३.००	इकाई स्तर पर तय किया जायगा

	रु. पै.	रु. पै.	
(७) फिलर (आंध्र प्रदेश)	१३.००	१३.००	८१ सी एफ टी
(८) मेकेनाइज्ड फेस क्रू	१३.००	१३.००	इकाई स्तर पर
(९) ड्रेसर-कम-लोडर/ ड्रिल कोल माइनर	१३.००	१३.००	६१ सी एफ टी

टिप्पणी : डेवेलपमेन्ट तथा डिपिलरिंग क्षेत्र के लिये कोई अन्तर नहीं होगा ।

५.२ बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के माइनर एवं लोडरों के कार्य भार :

बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के माइनरों एवं लोडरों का कार्य भार क्रमशः ४०.५ सी एफ टी व ८१ सी एफ टी होगा । वे ग्रूप-५-ए में पदस्थापित होंगे और पिक माइनर तथा लोडरों के लिये क्रमशः ४०.५ सीएफटी व ८१ सीएफटी के लिये बेसिक मजदूरी का दर १३.०० रु. होगा । उन्हें फाल बैक मजदूरी १३ रु. बेसिक मिलेगी ।

५.३ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कोयला अंचलों में माइनरों एवं लोडरों का कार्य भार :

यह समझौता हुआ कि मध्य-प्रदेश और महाराष्ट्र कोयला अंचलों में वर्त्तमान कार्य-भार बरकरार रहेगा । फिर भी उन्हें वर्त्तमान कार्य-भार के लिये निम्नलिखित बेसिक मजदूरी दर से भुगतान होगा :—

(अ) उन लोडरों के लिये जिनका वर्त्तमान का कार्य-भार १०० सीएफटी है	१४ रु.
(ब) उन लोडरों के लिये जिनका वर्त्तमान का कार्य-भार ११८ सी एफ टी है	१५ रु.

उनकी फाल-बैक मजदूरी १४ रु. अथवा १५ रु. बेसिक, जो भी लागू हो, होगी ।

५.४ पीस रेट के कर्मचारियों के लिये निर्धारित कार्य भार से अधिक/अतिरिक्त कार्य के लिये मजदूरी :

एक पीस-रेट के श्रमिक को निर्धारित कार्य-भार से अधिक कार्य के लिये बेसिक पीस रेट तथा निश्चित मंहगाई भत्ता के साथ समानुपात से बढ़ती दी जायगी ।

५.५ फाल-बैक मजदूरी :

विभिन्न पीस रेट ग्रूप के लिये, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता के अलावा बेसिक फाल-बैक मजदूरी का ब्यौरा निम्नांक पैरा में दिया जा रहा है।

पीस रेट के श्रमिकों के लिये फाल-बैक मजदूरी सुनिश्चित करने के लिये उनकी कमाई का दैनिक पुनरीक्षण किया जायगा और उसमें लीड और लिफ्ट जुड़ा होगा, परन्तु टब ठेलाई भत्ता शामिल नहीं होगा। फाल-बैक मजदूरी का भुगतान उस स्थिति में किया जायगा जब पीस रेट के श्रमिक कार्य-भार पूरा करने में असफल होंगे, जिसके लिये वे जिम्मेवार नहीं होंगे, उदाहरणार्थ—टबों की आपूर्ति कम होना अथवा बिलकुल नहीं होना या हालेज का ब्रेकडाउन होना अथवा संक्षिप्त अवधि के लिये बिजली आपूर्ति का न होना इत्यादि। जो भी हो, श्रमिक की अपनी गलती से उत्पादन पूरा नहीं होने पर कोई फाल-बैक मजदूरी नहीं दी जायगी।

५.६ मेकैनाइज्ड फेस क्रू :

मेकैनाइज्ड फेस क्रू एवं विविध कार्यों के ग्रूप कार्य के लिये कार्य-भार तथा मजदूरी दर स्थानीय स्तर पर ही निर्धारित की जायगी।

५.७ ट्रामर :

(१) पीस रेट के टालीवानों का कार्य-भार तथा प्रति-टब का रेट स्थानीय स्तर पर ही द्विपक्षीय वार्त्ता द्वारा तय किया जायगा और वह इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि हाजरी टालीवानों के वेतन ढाँचा के मध्य बिन्दु पर पड़े। जब भी टालीवानों के कार्य-दशा में परिवर्त्तन हो उनके कार्य-भार तथा मजदूरी दर का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। जहाँ कहीं भी टालीवानों का काम हाजरी दर से चलता है, वहाँ समय-सह-पीस रेट टालीवानों को लागू किया जाय।

(२) पीस रेट के टालीवानों को उनके कुल वेतन, जो बेसिक मंहगाई भत्ता, अन्तरिम राहत तथा हाजरी बोनस मिलाकर होता है उस औसत कुल कमाई में निम्नतम १०४ रु. ५२ पैसे मासिक बढ़ती दिया जाय। टालीवानों के बेसिक मजदूरी का इस प्रकार संशोधन हो जिससे उनके कुल मासिक कमाई जो बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, हाजरी बोनस एवं परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर १ अक्टूबर से शुरु होकर ६ सप्ताह की औसत कुल कमाई में उपरोक्त

१०४ रु. ५२ पैसे की निम्नतम बढ़ती दिया जा सके। पीस रेट निर्धारित करने में उसी अवधि के औसत कार्य-भार को आधार मानना चाहिये।

५.८ अन्य पीस रेट के श्रमिक :

अन्य पीस रेट श्रमिक जिनके लिये कोई खास कार्य-भार निर्धारित नहीं किया गया है और न ही ग्रूप मजदूरी तय हुआ है, उनके लिये यह राजीनामा हुआ कि उनके वेतन दर में उसी तरह से संशोधन किया जायगा जिस प्रकार टालीवानों का किया गया है।

५.९ लीड एवं लिफ्ट :

माइनरों/लोडरों के लिये लीड और लिफ्ट की दर में निम्न प्रकार से संशोधन होगा :

लीड (४७.५ सीएफटी टबों के लिये जो क्यू० मीटर में परिवर्तित किया जायगा :

दूरी	दर
० से ५० फीट	कुछ नहीं
५१ से १०० फीट	रु. ०.३१५
१०१ से १५० फीट	रु. ०.९४५
१५१ से २०० फीट	रु. १.५७५
२०१ से २५० फीट	रु. २.२५०
२५० फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५० फीट के लिये	रु. ०.९८०

लिफ्ट (४.५ सीएफटी टबों के लिये जिसे क्यू० मीटर में परिवर्तित किया जायगा :

दूरी	दर
० से १० फीट	कुछ नहीं
११ से १५ फीट	रु. ०.३१५
१६ से २० फीट	रु. ०.५९६
२१ से २५ फीट	रु. ०.९४५
२५ फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५ फीट के लिये	रु. ०.६३०

५.१० माइनर और लोडर के अलावा अन्य पीस रेट के श्रमिकों के लिये लीड और लिफ्ट :

माइनरों और लोडरों के अलावा अन्य पीस रेट के श्रमिकों के लिये लीड और लिफ्ट का दर निम्न प्रकार से होगा :—

(अ) वागन लोडरों को निम्न दर से लीड और लिफ्ट का भुगतान होगा :—

लीड : प्रथम १०० फीट से ऊपर
प्रत्येक ५० फीट अथवा ५० फीट के अंश के लिये —३७.५ पैसे प्रति टन कोयला

लिफ्ट : प्रथम १० फीट के ऊपर
प्रत्येक ५ फीट अथवा ५ फीट के अंश के लिये —१६ पैसे प्रति टन कोयला

(ब) ओवर-बर्डन हटाने वाले श्रमिकों को निम्न दर से लीड और लिफ्ट का भुगतान होगा :—

लीड : प्रथम १०० फीट —कुछ नहीं
प्रथम १०० फीट से ऊपर
प्रत्येक ५० फीट और उसके अंश के लिये —९ रु. १२ पैसे प्रति १००० सीएफटी

लिफ्ट : प्रथम १० फीट —कुछ नहीं
प्रथम १० फीट से ऊपर
प्रत्येक ५ फीट और उसके अंश के लिये —४ रु. ५६ पैसे प्रति १००० सीएफटी

५.११ टब ठेलाई (पुशिंग) :

प्रत्येक १०० फीट अथवा प्रथम १०० फीट से अधिक या उसके अंश के लिये टब ठेलाई का संयुक्त दर प्रति ४०.५ सीएफटी टब के लिये—रु. ०.१०५

अध्याय—६

माईनिंग स्टाफ

६.१ हेड ओवरमैन अथवा सीनियर ओवरमैन या ओवरमैन इन्चार्ज को तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड "ए" में पदस्थापित किया जायगा जबकि ओवरमैन ग्रेड-"बी" में पदस्थापित रहेंगे ।

६.२ माईनिंग सरदार श्रेणी-१ एवं श्रेणी-२ को संशोधित ग्रेड-"सी" में पदस्थापित किया जायगा ।

६.३ सिर्फ वही ओवरमैन तथा माईनिंग सरदार जो सभी तीन वांछित दक्षता के प्रमाण-पत्र—जैसे ओवरमैन/सरदारशिप सर्टिफिकेट, वैध गैस टेस्टिंग तथा फर्स्ट-एड (प्राथमिक चिकित्सा) सर्टिफिकेट प्राप्त हैं, वे उपरोक्त इङ्गित ग्रेड में पदस्थापन के योग्य होंगे ।

६.४ शॉटफायरर जो माईनिंग सरदार सर्टिफिकेट, वैध गैस टेस्टिंग तथा फर्स्ट एड प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं वे भी ग्रेड-"सी" में पदस्थापित होंगे ।

६.५ शॉटफायरर जो माईनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हैं वे ग्रेड-"डी" में पदस्थापित किये जायेंगे ।

अध्याय—७

रेलवे किराया तथा सेवा की अन्य शर्तें

७.१ रेलवे किराया :

यह राजीनामा हुआ कि वे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में कोयला वेतन मण्डल के नियमानुसार बाहर जाने और वापस आने के लिये प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का रेलवे किराया पाने के हकदार हैं, वे यथावत पाते रहेंगे । रेलवे द्वारा तृतीय श्रेणी समाप्त कर दिये जाने को मद्देनजर रखते हुए वे श्रमिक जो तृतीय श्रेणी का रेलवे किराया पाते हैं अबसे द्वितीय श्रेणी का रेलवे किराया पायेंगे । दूसरे शब्दों में वे कर्मचारी जिनकी बेसिक मजदूरी ३८० रु. प्रति माह से कम है वे द्वितीय श्रेणी का रेलवे किराया पाने के हकदार होंगे और जिनकी बेसिक मजदूरी ३८० रु. व इससे अधिक है वे प्रथम श्रेणी रेलवे किराया पाने के हकदार होंगे । अन्य दूसरी शर्तें जो वर्तमान में प्रचलित हैं वह सभी बरकरार रहेंगी ।

७.२ अर्जित छुट्टी तथा त्योहार छुट्टी :

(१) अर्जित छुट्टी माइन्स ऐक्ट द्वारा संचालित यथावत रहेगी ।

(२) अन्य सर्वतनिक त्योहार छुट्टी वर्तमान में जिस प्रकार मिलती हैं, मिलती रहेंगी ।

७.३ वर्तमान सुविधाएँ :

वर्तमान में मिल रहे लाभ तथा सुविधाएँ जो इस समझौता के तहत परिवर्तित नहीं हुई हैं, वे यथावत मिलती रहेंगी ।

७.४ निःशुल्क जलावन का कोयला :

जिस प्रकार अन्य कोयलांचलों में प्रचलित है, सिंगरेनी कोलियरियों के श्रमिकों को भी जलावन का कोयला निःशुल्क मिला करेगा ।

अध्याय—८

उत्पादकता तथा दक्षता

यह राजीनामा हुआ कि प्रबन्धन तथा श्रमिकों द्वारा कोयला खानों में उत्पादकता तथा दक्षता बढ़ाने के लिये सभी कदम उठाए जायेंगे और इसके लिये अन्य कदमों के अलावा निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया गया :—

(१) वर्तमान श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिये सभी सम्भव कदम उठाए जायेंगे ।

(२) इकाई स्तर पर ८ घण्टे की चार ओवरलैपिंग शिफ्ट का परीक्षण किया जायगा और जहाँ कहीं सम्भव होगा इसे लागू किया जायगा ।

(३) सभी स्तर पर उत्पादकता तथा दक्षता बढ़ाने, जहाँ कहीं सम्भव होगा मितव्ययिता (खर्च में कटौती) को लागू करने और यह सुनिश्चित करने में कि जो भी वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया जायगा उसे पूरा करने में प्रबन्धन के साथ ट्रेड यूनियनें सहयोगिता करेंगी । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जहाँ कहीं भी सम्भव होगा संयुक्त समितियाँ बनायी जायेंगी ।

अध्याय—९

सामान्य

९.१ क्रियान्वयन की तारीख :

यह समझौता १ली जनवरी, १९७५ से क्रियान्वित होगा और चार वर्षों की अवधि के लिये लागू रहेगा ।

९.२ इस समझौता के सम्पन्न होने के बाद भी यह कोयला उद्योग की द्विपक्षीय समिति स्टैंडिंग बडी के रूप में कार्य करती रहेगी और इस समझौता के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी साथ ही उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों पर विचार करती रहेगी एवं सम्पूर्ण कोयला उद्योग को प्रभावित करने वाले मसलों (सवालों) पर सरकार तथा कोयला उद्योग को परामर्श देती रहेगी ।

९.३ इस समझौता के किसी भी प्रावधानों के क्रियान्वयन, सन्देह अथवा व्याख्या में कोई असुविधा होने पर उसे संयुक्त द्विदलीय समिति के समक्ष विचारार्थ लाया जायगा ।

९.४ इस समझौता को मद्देनजर रखते हुए यूनियनों द्वारा जो १६ दिसम्बर १९७४ से हड़ताल नोटिश दी गई थी वह वापस होती है ।

११ दिसम्बर, १९७४ को नई दिल्ली में यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ ।

ह० प्रबन्धन प्रतिनिधि :

ह० श्रमिक प्रतिनिधि :

इस्पात तथा खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली
अगस्त १४, १९७३

प्रेस विज्ञप्ति

कोयला उद्योग के लिये
एक संयुक्त द्विपक्षीय समझौता समिति के गठन का फैसला

सरकार ने सम्पूर्ण कोयला उद्योग के लिये एक संयुक्त द्विपक्षीय समझौता समिति गठित किये जाने की मंजूरी दे दी है। उक्त समिति में कोयला उत्पादक कम्पनियों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधिगण सम्मिलित रहेंगे। श्रमिक प्रतिनिधि में रहेंगे इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)-६, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)-३, हिन्द मजदूर सभा-२, सीटू-१। प्रबन्धन की ओर से रहेंगे कोल माइन्स औथोरिटी लि० (नेशनल कोल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन सहित), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० के प्रतिनिधिगण।

कोयला उद्योग के लिये वेतन ढांचा के साथ-साथ सेवा की अन्य शर्तों पर अन्तिम फैसला के समझौता वार्त्ता के संचालन हेतु विषय-वस्तु का निर्धारण समिति खुद ही करेगी।

कमिटी को अपना कार्य ६ महीनों के भीतर सम्पन्न कर देना चाहिये।

कोयला उद्योग के लिये द्विपक्षीय समिति

१९-११-७३ को कलकत्ता में सम्पन्न हुए समझौता का ज्ञापन

प्रबन्धन प्रतिनिधि :

१. श्री जे. जी. कुमारमंगलम्	कोल माइन्स औथोरिटी
२. श्री बी. एल. बदेहरा	,, ,,
३. श्री रमैयाजी वर्मा	,, ,,
४. श्री आर एन. शर्मा	भारत कोकिंग कोल लि०
५. श्री ओ महीपथी	,, ,,
६. श्री के. आइ. विद्यासागर	सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०
७. श्री आर. एच. मोदी	टिस्को
८. दि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० के प्रतिनिधि	

श्रमिक प्रतिनिधि :

९. श्री आर एन. शर्मा, एम. पी.	इण्डियन नेशनल माइनवर्कर्स फेडरेशन (इंटक)		
१०. श्री दामोदर पांडे (वास्ते श्री कांति मेहता)	,,	,,	,,
११. श्री पी गोस्वामी	,,	,,	,,
१२. श्री एस. दास गुप्ता	,,	,,	,,
१३. श्री गुलाब गुप्ता (वास्ते आर के मालवीय)	,,	,,	,,
१४. श्री एस नारायण रेड्डी	,,	,,	,,
१५. श्री एम. कोमारैयाह (वास्ते श्री के. जी. श्रीवास्तव)	एटक		
१६. श्री काम. कल्याण राय, एम. पी.	,,		
१७. श्री के. सी. चौधरी (वास्ते श्री चतुरानन मिश्र)	,,		
१८. श्री काम. रबिन चटर्जी	सीटू		

मामला का संक्षिप्त विवरण

कोयला उद्योग के लिये गठित संयुक्त द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति की पहली बैठक जो २८ सितम्बर, १९७३ को हुई जिसका उद्घाटन श्री टी. ए. पै, मंत्री, इस्पात, खान और भारी उद्योग द्वारा सम्पन्न हुआ जिसमें कोयला उद्योग के प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसमें श्रमिक प्रतिनिधियों ने वेतन ढांचा तथा अन्य सेवा शर्तों पर अन्तिम निर्णय होने तक अन्तरिम राहत दिये जाने के प्रश्न को उठाया। समिति की दूसरी बैठक जो २४ अक्टूबर, १९७३ को हुई उसमें अन्तरिम राहत के प्रश्न पर वार्ता हुई। श्री जे. जी. कुमारमंगलम् ने बताया कि वे इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उन्हें अन्तरिम राहत के विषय में सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। फिर भी यदि राहत की राशि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा कोई सर्वसम्मत निर्णय होता है तो इसे सरकार के पास यह कहकर अग्रसारित करेंगे कि यह सर्वसम्मत विचार है। वार्ता के पश्चात अन्तरिम राहत की राशि पर सहमति हो गई और वह ३९ रु. प्रतिमाह अथवा १ रु. ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से वेतन में बढ़ती का विचार रखा। परन्तु इस मुद्दा पर कोई राजीनामा नहीं हुआ कि किस तारीख से यह लागू हो।

१९ नवम्बर १९७३ की बैठक में लगातार वार्ता के फलस्वरूप संयुक्त समिति निम्नलिखित नतीजे पर पहुँची :—

समझौता की शर्तें

१. संयुक्त समिति के प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हैं कि कोयला खान उद्योग में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों के लिये वेतन के दर में संशोधन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय होने तक १५ नवम्बर, १९७३ से सभी कैटेगरियों के कर्मचारियों को जो कोयला वेतन मण्डल की शिफारिशों द्वारा संचालित हैं और जो विभिन्न कोयला उत्पादक कम्पनियों के कर्मचारी हैं एवम् उन ठीकेदारी श्रमिकों को जिनपर वेतन मण्डल की शिफारिशें लागू होती हैं, उन्हें मासिक दर कर्मचारियों को ३९ रु. प्रतिमाह तथा दैनिक-दर व पीस-रेट कर्मचारियों को प्रति हाजरी १ रु. ५० पैसे का अन्तरिम राहत वेतन में बढ़ती दिया जायगा।

२. अन्तरिम वेतन बढ़ती का हिसाब निम्नलिखित लाभ के लिये किया जायगा :—

(अ) भविष्यनिधि अंशदान
(आ) वर्कमेन्स कम्पेन्सेसन (श्रमिक क्षतिपूर्ति) अथवा बीमा
(इ) ओवरटाइम
(ई) सवैतनिक छुट्टी
(उ) सवैतनिक त्यौहार छुट्टी
(ऊ) मातृत्व लाभ छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी
(ए) ले-आफ तथा छँटनी की क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेसन) का भुगतान
(ऐ) ग्रैच्युटी ऐक्ट के अन्तर्गत ग्रैच्युटी
(ओ) बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत बोनस

कोल माइन्स बोनस योजनान्तर्गत बोनस के भुगतान तथा अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स हेतु अन्तरिम वेतन बढ़ती का हिसाब नहीं किया जायगा।

३. अन्तरिम वेतन बढ़ती के कारण कोई बकाया (एरियर) हो जाने से सम्बन्धित कर्मचारी को उसका भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायगा परन्तु १०-१२-७३ के आगे और देरी नहीं होगी। जो भी हो, १-१२-७३ से मिलनेवाला अन्तरिम बढ़ती उस दिन से मिलनेवाले वेतन के साथ ही मिलने लगेगा।